# प्रेस नोट दिनांक 26.09.2023

**(1).** आज दिनांक 26.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये।

**(2).** आज दिनाँक 26.09.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

**(3).** पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन दृष्टि के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम ने चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये 03 महिला अभियुक्ताओं को गिरफ्तार करते हुये चोरी के जेवरात बरामद किये।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 24.09.2023 को श्री अभिषेक सोनी पुत्र स्व0 सूर्यभान सोनी निवासी भरतपुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी कि भगवानदीन चौराहा स्थित उनकी ज्वेलरी की दुकान से 03 अज्ञात महिलाओं ने जेवारात चोरी कर लिये हैं । इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 587/2023 धारा 379 भादवि बनाम 03 अज्ञात महिलाऐं पंजीकृत किया गया । पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा घटना का संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को निर्देशित किया गया । प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी द्वारा निरीक्षक श्री राकेश मौर्य के नेतृत्व में घटना के अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया । निरीक्षक राकेश मौर्या एवं उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये दिनाँक 25.09.2023 को सीसीटीवी कैमरे की मदद से विवेचना से प्रकाश में आयी अभियुक्ता 1.सुधा पत्नी सुधीर निषाद निवासी मऊ थाना मऊ हाल पता कपसेठी थाना कोतवाली कर्वी 2. गुडिया पत्नी राजेश निवासी नयागांव जिला सतना म0प्र0 हाल पता कपसेठी थाना कोतवाली कर्वी 3. चुनिया उर्फ संतोषिया पत्नी मेवालाल पत्नी स्व0 रामदुलार निवासी कस्बा मऊ हाल पता कपसेठी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को मुखबिर की सूचना पर मंदाकिनी पुल के आगे बहादुरपुर तिराहा कर्वी से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्ताओं के कब्जे से चोरी के 02 जोड़ी झुमका, 01 अदद नथ व 03 अदद नाक की कील पीली धातु बरामद की गयी । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी ।

**गिरफ्तार अभियुक्ताओं का नामः-**

1.सुधा पत्नी सुनील निषाद निवासी कस्बा व थाना मऊ हाल पता कपसेठी थाना कोतवाली कर्वी

2. गुडिया पत्नी राजेश निवासी नयागांव जिला सतना म0प्र0 हाल पता कपसेठी थाना कोतवाली कर्वी

3. चुनिया उर्फ संतोषिया पत्नी मेवालाल पत्नी स्व0 रामदुलार निवासी कस्बा मऊ हाल पता कपसेठी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

**बरामदगीः-**

1. 02 जोड़ी झुमका
2. 01 अदद नथ
3. 03 अदद नाक की कील पीली धातु

**गिरफ्तारी करने वाली टीमः-**

1. निरीक्षक श्री राकेश मौर्य थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी दिनेश कुमार
3. महिला आरक्षी शीलू पाठक
4. महिला आरक्षी शशि प्रभा

**(4).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण में चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग तथा उनकी टीम द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान चोरी के बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 24.09.2023 को श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 ग्यादीन निवासी द्वारिकापुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी कि उनकी मोटरसाइकिल हीरो स्पलेण्डर रजि0 नं0 UP 71 J 6794 किसी अज्ञात द्वारा चोरी कर ली है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 586/2023 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी द्वारा मुकदमें की विवेचना एवं घटना के अनावरण हेतु चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग श्री प्रवीण कुमार सिंह को लगाया गया। चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग द्वारा मुखबिर की सूचना पर वाहन चैकिंग के दौरान बिना नम्बर की हीरो स्पलेण्डर सवार अभियुक्त अमन चौहान पुत्र स्व0 प्रेमचन्द्र निवासी पुरानी बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को रोका गया एवं गाड़ी के कागाजत मांगने पर दिखा नहीं सका। परिवहन एप से चेचिस नम्बर से चेक करने पर मोटरसाइकिल का रजि0 नं0 UP 71 J 6794 पाया गया जो कि मु0अ0सं0 586/2023 से सम्बन्धित है। चोरी की बाइक बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

**अभियुक्त का विवरणः-**

अमन चौहान पुत्र स्व0 प्रेमचन्द्र निवासी पुरानी बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

**बरामदगीः-**

की मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP 71 J 6794

**गिरफ्तारी करने वाली टीमः-**

1. चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग श्री प्रवीण कुमार सिंह
2. मुख्य आरक्षी भरत सिंह

**(5).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री भास्कर मिश्रा तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 199/2023 धारा 363/366A/376 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त साहेदीन पुत्र इसरार खां निवासी ग्राम बूढ़ा सेमरवार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तारी करने वाले टीमः-**

1. प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री भास्कर मिश्रा
2. आरक्षी जितेन्द्र मौर्या

**(6).** पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तरी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0स0

182/23 धारा 363/366a/504/506/376 भादवि व 06 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त अनिल भगत पुत्र भैरव प्रसाद निवासी ग्राम भिटारी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी
2. आरक्षी राहुल पांडेय

**(7).** आज दिनांक 26.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला की अध्यक्षता में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय की उपस्थिति में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत इण्टर नेशनल पायनियर्स क्लब के सहयोग से थाना पहाड़ी अन्तर्गत ग्राम बछरन स्थित हरीमोहन सिंह इण्टर कालेज में छात्र/छात्रों के साथ जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से महिलाओं एवं विद्यालय के छात्र/छात्रों द्वारा भाग लिया गया। महोदया द्वारा महिलाओ/छात्राओं को संबोधित किया गया, अपने प्रति होने वाले छोटे से छोटे अपराध एवं अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाए एवं व्यक्तिगत परिस्थिति के अनुसार पुलिस द्वारा उनकी हर उचित सहायता की जाएगी। उनके प्रति होने वाले हो सकने वाले घरेलू लैंगिक एवं साइबर अपराधों के प्रति सचेत और जागरूक किया गया एवं यदि वे किसी अपराध का शिकार बनती है तो उस स्थिति में पुलिस तक सबसे आसानी से कैसे पहुँचा जा सकता है इस संबंध में भी अवगत कराया गया। महिलाओ से पुलिस की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सुझाव मांगे गये एवं उस क्षेत्र की महिला सुरक्षा सम्बंधी समस्याओं से भी महिलाओं द्वारा अवगत कराया गया जिन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। महोदया द्वारा बताया गया उनके साथ हो रहे किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को सहन की आवश्यकता नहीं है अब समय आ गया है कि महिलओं/बालिकाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न के सम्बन्ध में पुलिस से ''चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो'।

कार्यक्रम के दौरान क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय द्वारा महिलाओं/छात्राओं को संबोधित करते हुये महिला उत्पीडन के खिलाफ आवाज उठाने हेतु जागरुक किया गया।

महोदया द्वारा इस दौरान विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को संरक्षित रखते हेतु संदेश दिया गया।

जागरुकता कार्यक्रम के दौरान पीआरओ श्री गुलाब त्रिपाठी, इण्टर नेशनल पायनिर्यस क्लब के अध्यक्ष श्री केशव शिवहरे, विद्यालय के संसथापक श्री हरिमोहन सिंह, विद्यालय के प्रबन्धक श्री धीरेन्द्र सिंह, विद्यालय के उपप्रबन्धक श्री जितेन्द्र सिंह, विद्यालय के समस्त शिक्षण एवं पार्यनियर्स क्लब के सदस्य श्री अमित अग्रहरी एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

**(8).** आज दिनांक 26.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे "मिशन शक्ति" एवं ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत थाना मानिकपुर में नियुक्त उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय द्वारा राजकीय इण्टर कालेज मानिकपुर में छात्र/छात्राओं को SPC (स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट ) के तहत पुलिस की कार्यशैली के सम्बन्ध मे विस्तृत रुप से जानकारी देकर जागरुक किय गया। इस गोष्ठी में स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट के बच्चों को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु महिला व बाल अपराध के बारे में प्रशिक्षित/जागरूक किया गया। शासन द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइऩ, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा शासन के विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों के पम्पलेट्स वितरित किये गए।

स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट को मिशन शक्ति एवं शक्ती दीदी के तहत बताया गया कि उनके साथ हो रहे किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के सम्बन्ध में पुलिस से ''चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो'' जिससे उनके साथ हो रहे उत्पीड़न को रोका जा सके। स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट को गुड-टच, बैड-टच के सम्बन्ध में विस्तृत रुप से जानकारी देते हुये बताया गया कि

अक्सर छोटे-छोटे बच्चों को हमारे जानने वाले ही बैड-टच करते हैं और हम समझ नहीं पाते, इसके सम्बन्ध में खुलकर बतायें तथा घर पर अपने छोटे भाई/बहन को भी गुड-टच, बैड-टच के सम्बन्ध में बतायें।

**(9).** आज दिनाँक 26.09.023 को जिलाधिकारी श्री अभिषेक आनन्द तथा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला की उपस्थिति में अभियोजन एवं कानून व्यवस्था तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम के क्रियान्वयन एवं नारकोटिक्स के संबंध में बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुराने अभियोगों की पेडेन्सी ज्यादा है इसका निस्तारण कराएं एसपीओ को निर्देशित किए की इसमें आप लोग सपोर्ट भी करें कहा कि अगली बैठक में लिस्ट बनाकर भी लाए। महिलाओं एवं नाबालिक के विरुद्ध लैंगिक अपराध के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इसमें महिलाओं को परेशानी होती है इसको प्राथमिकता लेकर निस्तारण कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में जल्दी से जल्द सजा कराएं। आयुध अधिनियम के संबंध में उन्होंने कहा कि इसमें अभियान चलाकर कार्यवाही करें। टॉप 10 अपराधियों के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि इसमें अभियान चलाकर अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करें उन्होंने कहा कि अगले महीने में शासकीय अधिवक्ता व पुलिस समन्वय बना कर इसमें प्रगति कराएं। जिलाधिकारी ने शासकीय अधिवक्ता से कहा कि जब आप लोग डेट देते हैं अपराधी डेट पर आता है उस समय आप लोग नहीं रहेगे तो पुलिस का समय व्यर्थ होगा इसमें रुचि लेकर कार्य करें। उन्होंने सभी शासकीय अधिवक्ताओं और थाना प्रभारियों से कहा कि इसमें अगली बार से रिजल्ट चाहिए। जिलाधिकारी ने सभी उप जिला अधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारियों से निर्देशित किया कि जो भी भूमि विवाद से सम्बंधित मामले तहसील दिवस व थाना दिवस में आते हैं उसमें सक्रिय होकर कार्य करें उन्होंने कहा कि इसमें नजरिया बदलने की जरूरत है कहां जहां लगता है कि दोनों पक्ष अक्रामक है तो उसमें शासकीय कार्रवाई करके अप्रिय घटना होने से बचाया जा सकता है। जिला आबकारी को निर्देशित किया कि लगातार अवैध शराब बनाने वाले को नजर रखें किसी प्रकार की अपनी घटना न होने पाए। जिला खनिज अधिकारी को निर्देशित किया कि अवैध खनन न होने पाए व ओवरलोडिंग पर विशेष ध्यान दें। गणेश मूर्ति विसर्जन के संबंध में उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि तालाबों पर वेरिकेटिग लाइट की भी व्यवस्था करें। उन्होंने सभी को उप जिलाधिकारी पुलिस क्षेत्र अधिकारियों से कहा कि जिन क्षेत्रों पर विसर्जन होना है उसका निरीक्षण भी कर ले।

बैठक में अधिनस्थ न्यायालय में लंबितवाद, सत्र न्यायालय,, दहेज हत्या, जमानत, गवाहों की स्थिति आदि बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई।

पुलिस अधीक्षक महोदया सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि स्टूडेंट पुलिस कैडेट (एसपीसी) द्वारा अगस्त सितंबर माह का जिन स्कूलों में प्रशिक्षण नहीं हुआ है उसे कराएं इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरतें नहीं तो दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।